न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण सं०–**569/2019**

सरकार बनाम गिरजेश।

आरोप

मैं, अभिमन्यु सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान–पडरौना, आप अभियुक्त गिरजेश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 20.08.2019, समय 10.00 बजे सुबह, वहद ग्राम–सिहुलिया, थाना–अहिरौली बाजार, जिला–कुशीनगर में आपने वादिनी मुकदमा की पुत्री को विधि पूर्ण संरक्षकता से व्यपहृत किया। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा–363 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा उक्त की पुत्री पीड़िता उक्त को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से अयुक्त संभोग के लिए व्यपहृत किया। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा–366 के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा उक्त की पुत्री पीड़िता उक्त को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहृत कर उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा–376 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपों हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः**15.02.2020**

(**अभिमन्यु सिंह**)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4
कुशीनगर स्थान पडरौना।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की ।

दिनांकः**15.02.2020**

(**अभिमन्यु सिंह**)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4
कुशीनगर स्थान पडरौना।

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4, कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण सं०–**569/2019**

सरकार बनाम गिरजेश।

15.02.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त गिरजेश जरिये हिरासत उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना और पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–363,366 व 376 भा०दं०सं० का अपराध नहीं बनता है।

इस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध करते हुये कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा तमामी विवेचना एकत्र साक्ष्य के आधार पर आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप विरिचत किये जाने की याचना की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना तमामी साक्ष्यों का साक्ष्य संकलित करते हुये आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। न्यायालय की राय में अभियुक्त गिरजेश के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–363,366 व 376 के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु लंच बाद पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4
कुशीनगर स्थान पडरौना।

लंच बाद

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त गिरजेश जरिये हिरासत उपस्थित। अभियुक्त के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा–363,366 व 376 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 02.02.2020 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं० 4
कुशीनगर स्थान पडरौना।